राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(1)ग्रावि/नरेगा/भा.स./2010 जयपुर, दिनांक 12 DEC 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत प्रशासनिक व्यय के संबन्ध में।

संदर्भ :– विभागीय पूर्व पत्रांक एफ21(39)ग्रावि/नरेगा/2011 दिनांक 18.07.2011 एवं समसंख्यक पत्रांक दिनांक 19.10.2011

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में व्यय हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किये गये है। प्रशासनिक मद में व्यय केवल उन्ही मदो/कार्यों पर किया जा सकता है, जिनके संबन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये गये है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक व्यय की एम आई एस लेखांकन का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि प्रशासनिक व्यय का एम आई एस में लेखांकन गैर अनुमत मदों यथा साम्प्रदायिक दंगों/प्राकृतिक आपदा के पीडितों को अनुग्रह राशि, विविध व्यय, अग्रिम राशि, अन्य व्यय, ठेकेदार का भुगतान आदि पर किया गया है। कुछ बिलों/वाउचरों के लेखांकन में केवल फर्म का नाम लिखा गया है परन्तु यह वर्णित नही है कि यह व्यय किस पर किया गया है।

चूंकि इस प्रकार का व्यय योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में अनुमत नही है, अतः केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार के व्यय को प्रशासनिक मद से हटाया जाकर संबन्धित मद में लेखांकित किये जाने के निर्देश प्रदान किये है। विभाग द्वारा संदर्भित पत्रों द्वारा इस संबन्ध में पूर्व में ही निर्देश दिये जा चुके है। इस संबन्ध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रशासनिक मद में केवल अनुमत कार्यों/मदों के व्यय को ही सम्मिलित किया जावे तथा बिल/वाउचर का पूर्ण विवरण भी एम आई एस पर अंकित किया जावे ताकि यह स्पष्ट हो सके कि व्यय किस पर किया गया है। पूर्व में एम आई एस पर इन्द्राज किये जा चुके इस प्रकार के बिल/वाउचर्स के लेखांकन को दुरूस्त किया जावे।

भवदीय
(श्रीनिवास मीणा)
मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान जयपुर/जोधपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

12.12.11
मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस